झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

आपराधिक पुनरीक्षण सं0–45 वर्ष 2017

विकास मंडल उर्फ विकास कुमार मंडल .... याचिकाकर्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री महेश तिवारी, अधिवक्ता।

राज्य के लिए:– श्री पंकज कुमार, ए0पी0पी0।

आदेश संख्या 04 दिनांक 23वीं फरवरी, 2017

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री महेश तिवारी और राज्य के तरफ से उपस्थित विद्वान ए0पी0पी0 श्री पंकज कुमार को सुना गया।

यह आवेदन विद्वान सत्र न्यायाधीश, गिरिडीह द्वारा दिनांक 24.11.2016 को आपराधिक विविध अपील संख्या 34/2016 में पारित आदेश के विरूद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा विद्वान प्रधान दण्डाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, गिरिडीह द्वारा दिनांक 24.10.2016 को गिरिडीह (टी) थाना काण्ड संख्या 327/2015 से उत्पन्न, जी0आर0 संख्या 3032/2015 में पारित आदेश जिसमें याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया गया था, की पुष्टि की गई है और अपील खारिज कर दी गई थी।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि केवल सह–अभियुक्त बीरेंद्र मंडल के इकबालिया बयान के आधार पर, याचिकाकर्ता को इस मामले में फंसायाा गया है और वास्तव में उक्त सह–अभियुक्त बीरेंद्र मंडल को इस माननीय न्यायालय द्वारा बी0ए0 सं0 123/2016 में पारित आदेश द्वारा जमानत दी गई है, और याचिकाकर्ता दिनांक 19.08.2016 से हिरासत में है। विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि जहां तक उनका आपराधिक इतिहास का संबध है, कथित मामलों में भी याचिकाकर्ता को सह–अभियुक्त व्यक्तियों के बयान के आधार पर फंसाया गया है।

राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान ए0पी0पी0 ने याची की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि याची का आपराधिक इतिहास है और वह अपने माता–पिता के नियंत्रण में नहीं है।

ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को साइबर अपराध में शामिल होने के सह–अभियुक्त बीरेंद्र मंडल के इकबालिया बयान के आधार पर फंसाया गया है और उसे इस माननीय न्यायालय द्वारा जमानत दी गई है। याचिकाकर्ता के पिता ने एक वचनबंध दिया था कि वह याचिकाकर्ता को असामाजिक तत्वों के साथ आने की अनुमति नहीं देगा।

उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, विद्वान सत्र न्यायाधीश, गिरिडीह द्वारा आपराधिक विविध अपील संख्या 34/2016 में दिनांक 24.11.2016 का पारित निर्णय तथा साथ में गिरिडीह (टी) थाना काण्ड संख्या 327/2015 से उत्पन्न, जी0आर0 संख्या 3032/2015 में दिनांक 24.10.2016 को विद्वान प्रधान दण्डाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड,

गिरिडीह द्वारा पारित आदेश जिसमें याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने से इनकार किया गया है, को अपास्त किया जाता है।

उपर्युक्त नामित याचिकाकर्ता को गिरिडीह (टी) थाना काण्ड संख्या 327/2015 से उत्पन्न, जी0आर0 संख्या 3032/2015 के संबंध में विद्वान किशोर न्याय बोर्ड, गिरिडीह की संतुष्टि के लिए प्रत्येक 10,000/– रूपये (दस हजार रूपये) के जमानत बंध के साथ समान राशि की दो प्रतिभूतियों को प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, इस शर्त के साथ कि याचिकाकर्ता के पिता याचिकाकर्ता को एक सुरक्षित स्थान पर रखेंगे और उसे किसी भी आपराधिक व्यक्ति से मिलने की अनुमति नहीं देंगे, और आगे जांच पूरी होने तक संबंधित मामले में प्रत्येक और नियत निर्धारित तारीख को किशोर न्याय बोर्ड, गिरिडीह के समक्षा याची को पेश करने का निर्देश दिया जाता है।

इस आवेदन का निपटारा किया जाता है।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)